इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल 2013—वैशाख 7, शक 1935

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. एफ-31-207-2011-दो-सी-1.—स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके अपने-अपने संभागों के भीतर इस बात के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है, कि यदि किसी व्यक्ति के संबंध में (जिसमें कोई विदेशी भी सम्मिलित है) उनका यह समाधान हो जाता है कि उसे स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में लगने से रोकने की दृष्टि से ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो वे यह निदेश देने वाला कोई आदेश कर सकेंगे कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

पृ. क्र. एफ-31-207-2011-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 27th April 2013

F. No. 31-207-2011-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of this Department's Order of even Number dated 23rd September 2011, the State Government, hereby specially empowers all Divisional Commissioners within their respective Divisions, that if they are satisfied, with respect to any person (including a foreigner) that, with a view to preventing him from engaging in illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, it is necessary so to do, they may make an order directing that such person be detained.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.